आर ई ओ –190

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई)

क्रमांक / जे.पी.डी / मु.आ.(वा) / अ.अ / (आर.ई.)प.1201 / प्रे3632 दिनांक: 29.3 2008

आदेश

विषय :– वर्ष 2008–09 में कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2003 तक के सामान्य कृषि श्रेणी के विचाराधीन आवेदकों, समस्त स्पेशल श्रेणी के आवेदकों, समस्त अनुसूचित जाति के आवेदकों तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र के किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों को वर्ष 2008–09 में मांग पत्र जारी कर कृषि कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त नये कृषि कनेक्शनों को जारी करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये जाते हैं :–

1. मांग पत्र जारी करना :–

(i) सभी श्रेणीयों के लिये मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने हेतु भेजा जायेगा तथा उक्त समयावधि में मांग पत्र जमा नहीं कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जावेगा। जिसके लिये सभी स्थानीय अखबारों, ग्राम पंचायत, पंचायत समीति की मीटिंग एवं चौपालों में विस्तृत जानकारी दे दी जावे।

(ii) उपरोक्त में से 50 प्रतिशत आवेदकों के मांग पत्र 15 अप्रैल 2008 तक जारी किये जावेंगे तथा शेष आवेदकों के मांग पत्र 31 जुलाई 2008 तक जारी किये जावेंगे।

2. कृषि कनेक्शनों की प्राथमिकता :–

कृषि कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता मूल आवेदन तिथि के अनुसार ही दी जायेगी, न कि मांग पत्र जमा की तारीख के अनुसार।

3. कृषि कनेक्शन जारी करने के लक्ष्यः–

15 अपैल 2008 तक जारी किये गये मांग पत्रों के कुल आवेदकों की जमा राशि के 1/3 कनेक्शन अगस्त में 1/3 सितम्बर में तथा 1/3 अक्टूबर 08 में किये जायेंगे इसी प्रकार 31 जुलाई 08 तक जारी मांग पत्रों के कुल जमा राशि के 1/3 नवम्बर, 1/3 दिसम्बर 08 एवं 1/3 जनवरी 09 में कनेक्शन जारी किये जायेंगे। मॉग पत्र में आवेदकों को कनेक्शन जारी करने का लगभग समय सुनिश्चित करें।

4. कृषि कनेक्शनों के लिये सामान की ढुलाईः–

कृषि कनेक्शनों के लिये जरूरी सामान की ढुलाई का कार्य निगम द्वारा किया जायेगा जिसके लिये मांग पत्र में 1500 रू अतिरिक्त चार्ज किये जावेंगे। यदि आवेदक अपने खर्चे पर सारे सामान की ढुलाई का कार्य स्वंय करना चाहता हो तो उससे सामान की ढुलाई की राशि चार्ज नहीं की जायेगी।

5. कृषि कनेक्शनों के लिये लाईन एवं सब–स्टेशन लगाने का कार्यः–

कृषि कनेक्शनों हेतु 11 के.वी. लाईन तथा 11/.4 के.वी. सब–स्टेशन लगाने का कार्य निगम द्वारा निर्धारित सी.एल.आर.सी रेट पर कराया जा सकता है एवं यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि लाईन व सब–स्टेशन खडी करने में अच्छी गुणवत्ता बनी रहे, समय पर सामान की ढुलाई का कार्य एवं कृषक को बिना असुविधा के मॉग पत्र पर प्रदर्शित समयानुसार कृषि कनेक्शन जारी हो।

29/3/08

(बी.एल.अग्रवाल)
मुख्य अभियंता (वाणिज्य)